मध्यप्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल–462004

भोपाल दिनांक 7 जून, 2013

: : आदेश : :

क्रमांक एफ 31–3/2012/सत्ताईस–1 ओंकारेश्वर परियोजना के विस्थापितों की समस्याओं पर सुनवाई एवं निराकरण हेतु राज्य शासन के आदेश क्र. एफ–19–77/2012/1/4 दिनांक 10 सितम्बर 2012 को उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा ओंकारेश्वर के विस्थापितों की समस्याओं की सुनवाई उपरान्त अतिरिक्त विशेष पैकेज दिये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य शासन एतद् द्वारा समिति की अनुशंसा अनुसार ओंकारेश्वर डूब प्रभावित परिवारों के लिये निम्नानुसार अतिरिक्त विशेष पैकेज स्वीकृत करता है :–

1. जिन परिवारों की 1 एकड तक कृषि भूमि अधिग्रहित की गई है, ऐसे प्रत्येक परिवारों को 2.00 लाख रूपये।
2. जिन परिवारों की 1 एकड से 10 एकड तक की कृषि भूमि अधिग्रहित की गई है, उन्हे 2.00 लाख रूपये प्रति एकड के मान से अतिरिक्त राशि प्रदाय की जायेगी।
3. जिन परिवारों की 10 एकड से अधिक भूमि अधिग्रहित हुई है उन्हे भी 2.00 लाख रूपये प्रति एकड के मान से राशि मिलेगी, लेकिन यह राशि अधिकतम 20.00 लाख रूपये तक सीमित होगी।
4. डूब प्रभावित भूमिहीन मजदूर परिवारों को रोजगार मूलक सम्पत्ति क्रय करने के लिये 2.00 लाख 50 हजार रूपये प्रति परिवार राशि दी जायेगी।
5. जो परिवार आवासीय भूखण्ड के बदले भूखण्ड नहीं चाहते है, उन परिवारों को भूखण्ड के बदले रूपये 50 हजार दिये जायेंगे।
6. कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनकी अचल सम्पत्ति के रूप में केवल मकान ही अधिग्रहित कर उनका मुआवजा दिया गया है। इसके अतिरिक्त उसे अन्य किसी मद में सहायता नही मिली है, ऐसे प्रत्येक परिवार को 50 हजार की राहत राशि दी जावेगी।
7. ओंकारेश्वर परियोजना के लिये घोषित इस पैकेज का लाभ जलाशय क्षेत्र में बसे परिवारों को तभी मिल सकेगा जब वे 15 जुलाई 2013 के पूर्व जलाशय क्षेत्र रिक्त करते हुये संबंधित भू–अर्जन अधिकारी से तत्संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर संबंधित परिवार को पैकेज में उल्लेखित पात्रतानुसार राशि का भुगतान चेक द्वारा किया जायेगा। विस्थापितों को पैकेज स्वीकार करते हुये शपथ पत्र देना होगा किवे भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नहीं करेंगे एंव उन्हें यह पैकेज स्वीकार है।
8. विशेष पैकेज जलाशय क्षेत्र से पूर्व में विस्थापित परिवारों को भी पात्रतानुसार देय होगा।

निरंतर.....2

10

9. जिन विस्थापितों को भूमि के बदले भूमि आवटन की पात्रता पुनर्वास नीति में है,यदि वे इस पैकेज को स्वीकार करते हैं तो उनको शपथ पत्र देना होगा कि वह भूमि के बदले भूमि नहीं चाहते है एवं उसके विकल्प में ही यह पैकेज स्वीकार कर रहे हैं एवं भविष्य में इस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न नहीं करेंगे। उनके द्वारा इस पैकेज का स्वीकार करना पुनर्वास नीति की कंडिका–5.1 के अन्तर्गत अंतिम विकल्प के रूप में मान्य किया जायेगा,जिन विस्थापितों ने राज्य शासन के आदेश दिनांक 10.09.2012 के संदर्भ में राशि वापस भू अर्जन अधिकारी के खाते में जमा कराई है उन्हैं उक्त पैकेज की राशि के साथ भू–अर्जन अधिकारी को जमा कराई गई राशि भी वापस दी जावेगी।

10. इस विशेष पैकेज का भुगतान एनएचडीसी लिमिटेड द्वारा किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार।

7-6-13

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग